राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3335–पीबीआर/14 **जिला** रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–10–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–8–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम स्वरूप का आदेश है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) में द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

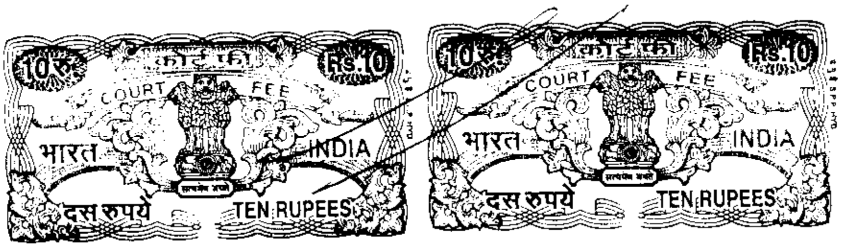

समक्ष :न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर वेंच भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक ....../2014

R - 3335 - PBR/14

बल्लभसिंह आत्मज श्री नन्हें भैया जाति किरार
आयु लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम खरगोन तह-
सील बरेली जिला रायसेन म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1 कोमलसिंह आत्मज श्री गुलाबसिंह
2 श्यामसिंह आत्मज श्री दोलतसिहं
3 अवधनारायण आत्मज श्री मुरलीधर
4 परमानंद आत्मज श्री टीकाराम सभी जाति किरार
सभी निवासी ग्राम खरगोन तहसील बरेली जिला
रायसेन म.प्र. ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहित 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता माननीय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बरेली जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 23/अपील/अ-70/12-13 बल्लभसिंह विरूद्ध कोमलसिंह में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन को निरस्त करने का आलोच्य आदेश दिनांक 28/08/14 से अंसतुष्ठ होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है।

श्री राम कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 23-9-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।